फैमिली मेंटेनेन्स एनफोर्समेंट प्रोग्राम

नए इमिग्रेंटस के लिए फैक्ट शीट

BRITISH COLUMBIA

क्या आपको चाईल्ड सप्पोर्ट के लिए सहायता चाहिए?

मां–बाप के तलाक या अलग होने के बाद ब्रिटिश कोलंबीया फैमिली लॉ बच्चों के सर्वोत्तम हित को बाध्य मानता है। इसलिए मां–बाप के अलग होने के बाद बच्चों को चाईल्ड सप्पोर्ट मिलनी ही चाहिए।

चाईल्ड सप्पोर्ट ऑर्डर के अधीन कई बार मां–बाप अपनी ज़िम्मेवारी को पूरा नहीं निभाते। इस से बच्चों और परिवार के लिए मुसीबतें खड़ी हो जाती हैं। जब चाईल्ड सप्पोर्ट मिलने में मुश्किल हो तो वह परिवार फैमिली मैनटेनैंस एनफोर्समेंट प्रोग्राम से सहायता ले सकते हैं। सरकार द्वारा चलाया गया यह मुफ्त प्रोग्राम है जो परिवारों को स्पाऊसल या चाईल्ड सप्पोर्ट लेने में, सप्पोर्ट पेमैंट को टरैक करने में और सप्पोर्ट आर्डरों को लागू करने में सहायता करता है। फैमिली मेंटेनेन्स एनफोर्समेंट प्रोग्राम के पास वह न्यायाईक ताकत है जिस से सप्पोर्ट पेमैंट इकट्ठी की जा सकती है। पेरैंटस से सप्पोर्ट एकत्रित करने के लिए उनका एमपलॉयर ही उनकी तनखवाह में से रकम काट सकता है।

सब से पहले मां–बाप को सर्प्पोट आर्डर या सर्प्पोट अग्रीमैंट लेना होगा ताकि उसे कोर्ट में दर्ज करवाकर इस फ्री प्रोग्राम का लाभ लिया जा सके। चाईल्ड सप्पोर्ट आर्डर अथवा एग्रीमैंट भरने के लिए परिवार को प्रोफैषनल लीगल एडवाईसर फैमिली जस्टिस सैंटर से मदद लेनी चाहिए। फैमिली जस्टिस सैंटर इसके लिए जानकारी तथा मदद प्रदान कर सकता है। फैमिली मेंटेनैंस एनर्फोसमैंट प्रोग्राम स्वयं कानूनी मदद अथवा चाईल्ड सप्पोर्ट आर्डर नहीं दे सकता।

कई बार पेरैंट बी.सी से बाहर रहता है। कैनेडा की सरकार के अन्य कैनेडियन प्रांतों तथा विदेशों के साथ अरेंजमेंट है, जो कि इस बात को पक्का करता है कि चाईल्ड सप्पोर्ट की बाध्यता को माना जाए। एक अतिरिक्त तथ्य शीटः **कलैक्टिंग चाईल्ड सप्पोर्ट** की लिस्ट में इन प्रांतों और विदेशों के बारे में बताया गया है

आप फैमिली मेंटेनेन्स एनफोर्समेंट प्रोग्राम में दाखिला ले सकते हैं या अधिक जानकारी के लिए **www.fmep.gov.bc.ca** पर जाएं अथवा फोन करें :

604.678.5670 (वैनकूवर और लोअर मेनलैंड),

250.220.4040 (विक्टोरिया),

250.434.6020 (नार्थ एवं इंटीरियर बी.सी.)